

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: प.6/4/राज-6/2000/11


जयपुर, दिनांक: 3-5-2000

-अधिसूचना-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 द्वारा अधिनियम संख्या -15 वर्ष 1956 की धारा 26 की उप-धारा 1 सपठित धारा 260 की उप-धारा 1 के खण्ड ग में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एमद् द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा 1 एवं अधिसूचना क्रमांक प.5/21/राज-4/80/35 दिनांक 4.9.82 यथा संशोधित के तहत नामान्तरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायतों के स्थान पर समस्त तहसीलदार एवं समस्त नायब तहसीलदार द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 30.6.2000 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


शिव कुमार शर्मा
शासन उप सचिव